

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटडी (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- श्री भागीरथ साख, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 209/2016

प्रा.प. अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा.अधि.1956

अनवान

1. गेन्दी पत्नि गोदु बंजारा जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी हाथीभाटा मजरा मनकडी तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा
2. बच्ची पत्नि जयसिंह बंजारा जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी हाथीभाटा मजरा मनकडी तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. महादेव पिता रामलाल जाट जाति जाट उम्र वयस्क निवासी मनकडी तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा
2. किशन पिता रामलाल जाट जाति जाट उम्र वयस्क निवासी मनकडी तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा
3. भुवाना पिता रामलाल जाट जाति जाट उम्र वयस्क निवासी मनकडी तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा
4. गिरधारी पिता बेणा गुजर जाति गुजर उम्र वयस्क निवासी लिरडी तहसील बेगु जिला चितोडगढ
5. भीमा पिता मेघा बंजारा जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी मनकडी तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा
6. मांगीलाल पिता बालू गुजर जाति गुजर उम्र वयस्क निवासी लिरडी तहसील बेगु जिला चितोडगढ
7. छोगा पिता माना कंजर जाति कंजर उम्र वयस्क निवासी उदलियास माफी(सुठेपा) तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा
8. मोहन पिता प्रभु दरोगा जाति दरोगा उम्र वयस्क निवासी मनकडी तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा
9. राजस्थान राज्य जरिय तहसीलदार साहब, कोटडी (भीलवाड़ा)


विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व
अधिनियम 1956

-:: आदेश ::-

दिनांक 12/02/17.....

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में दिनांक 11/02/2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम होलीरडा, पटवार हल्का आकोला, भू.अ. क्षेत्र आकोला, तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा की सरहद मे खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा संख्या 217 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, आराजी संख्या 218 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, आराजी संख्या 219 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा, आराजी संख्या 220 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, आराजी संख्या 221 रकबा 1 बीघा, आराजी संख्या 222 रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा, आराजी संख्या 223 रकबा 10 बिस्वा, आराजी संख्या 260/216 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा कुल कीता 8 रकबा 33 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/सयुक्त खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।


उपखण्ड अधिकारी
कोटडी जिला-भीलवाड़ा

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रकरण केवल सीमा संबंधी है जिससे किसी का कोई हक प्रभावित नहीं होता है। विपक्षीयता का कोई हक प्रभावित नहीं होता है। खातेदारी हक प्रार्थी का है इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदत्त किये जाते हैं एवं संबंधित भू.अ.निरीक्षक बडलियास को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर उभयपक्ष को सुचित करने के उपरान्त पालना रिपोर्ट मार्फत तहसीलदार कोटडी के तलब की जावें।

-:: आदेश ::-

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि तहसील कोटडी के वाके ग्राम होलीरडा, पटवार हल्का आकोला, भू.अ. क्षेत्र आकोला, तहसील कोटडी जिला भीलवाडा की सरहद में खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा संख्या 217 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, आराजी संख्या 218 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, आराजी संख्या 219 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा, आराजी संख्या 220 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, आराजी संख्या 221 रकबा 1 बीघा, आराजी संख्या 222 रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा, आराजी संख्या 223 रकबा 10 बिस्वा, आराजी संख्या 260/216 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा कुल कीता 8 रकबा 33 बीघा 16 बिस्वा भूमि पर पत्थरगढी उभयपक्षकारान को सुचित किया जाकर बाद तिथी निर्धारण के पत्थरगढी की जावें। प्रार्थी इस कार्य के लिए कमिश्नर फीस तहसीलदार कोटडी के निर्देशानुसार राशि 1700 रुपये वक्त पत्थरगढी कमिश्नर भू.अ.निरीक्षक को जमा करायेगा। खर्चा राशि जमा होने पर भू.अ.निरीक्षक द्वारा पत्थरगढी की जाकर पालना करे।


सहायक कमिश्नर एवं
उपलब्ध

प्रतिलिपि :- तहसीलदार कोटडी को भेजकर लेख है कि आवेदक की पत्थरगढी कराकर सात योम में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।


सहायक कमिश्नर एवं
उपलब्ध
कोटडी जिला-भीलवाडा